संख्या-11/2025/वे0आ0-2-242/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) के माध्यम से गृह (पुलिस) विभाग के कार्मिकों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(i) पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के पद को वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (रू० 35400-112400) तथा निरीक्षक के पद को वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू० 44900-142400) में यथावत बनाये रखा जाये।

(ii) अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में निर्धारित की गयी 08 वर्ष की अर्हकारी सेवा को पुनः बहाल न किया जाये। इस पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में लागू व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाये।

(iii) विभाग में विद्यमान अन्य पदों के सम्बन्ध में कोई विसंगति नहीं पायी गयी है। अतः इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य हो रहे लेवल को यथावत् बनाये रखा जाय।

(iv) सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के विषय में समिति द्वारा अलग से संस्तुतियां दी गयी हैं। उ0प्र0 पुलिस विभाग के सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर इन संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2025/वे0आ0-2-242(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।